



M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

Panchanan, 3rd Floor, Malviya Nagar, Bhopal-462 003
Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305

Email: mpagrohbpl@gmail.com

CIN No U01119MP19695GC001055

क.मुख्या/उद्यान/2017-18/ 850

दिनांक 18 मई 2017

शुद्धि पत्र- तृतीय

वर्ष 2017-18 के लिये सेसबानिया रोस्ट्रेटा एवं ग्लिरिसिडिया सेपियम बीजों, संकर सब्जी बीज, गार्डन टूल्स पावर आपरेटेड एवं हेण्ड आपरेटेड, पौधे एवं रोपण सामग्री सत्यरूप एवं प्रमाणित बीज एवं संकर बीज - मक्का, धान ज्वार एवं बाजरा के प्रदाय हेतु दैनिक भास्कर एवं पत्रिका समाचार पत्रों में प्रकाशित रेट कान्ट्रेक्ट आफर सूचना दिनांक 27.4.2017 में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है :

आर सी ओ 2- संकर सब्जी बीज

1. परिशिष्ट क्रमांक 3 पृष्ठ 11 के बिन्दु क्रमांक 11 पर संकल्प धनराशि रु 2,00,000/ के स्थान पर रु. 1,00,000/.. पढ़ा जाए।

आर सी ओ 3 - गार्डन टूल्स पावर आपरेटेड एवं हेण्ड आपरेटेड

1. परिशिष्ट 11 में संकल्प धनराशि रु. 2,00,000/.. के स्थान पर राशि रु 50,000/.. पढ़ा जाए।
2. परिशिष्ट क्रमांक 2 के बिन्दु क्रमांक 4 (ब) में निम्नानुसार अतिरिक्त जोड़ा जाता है :

किन्तु यदि उत्पादक एवं अधिकृत विक्रेता पृथक-पृथक सामग्रियों (यथा हेण्ड आपरेटेड/पावर आपरेटेड) के लिये पृथक-पृथक आफर प्रस्तुत करते हैं तो ऐसे आफर को स्वीकार किया जा सकेगा।

आर सी ओ 4 - पौधे एवं रोपण सामग्री

1. परिशिष्ट क्रमांक 3 के बिन्दु क्रमांक 9 में अंकित परिशिष्ट क्रमांक 11 के स्थान पर 10 पढ़ा जाए।
2. परिशिष्ट 8 के बिन्दु क्रमांक 1 में " परिशिष्ट 3" के स्थान पर परिशिष्ट 10 पढ़ा जाए।
3. परिशिष्ट 8 के बिन्दु क्रमांक 8 में वर्णित परिशिष्ट 11 के स्थान पर परिशिष्ट 10 पढ़ा जाए।
4. परिशिष्ट 7 पौधे ग्राफ्टेड एवं पौधे बीजू (पृष्ठ क्रमांक 18 19 एवं 20) में दी गई तालिका में प्रदाय दर रु प्रति किलो का लेख किया गया है जिसे प्रति किलो के स्थान पर प्रति किलो/प्रति नग पढ़ा जाए।
5. परिशिष्ट क्रमांक 6 पृष्ठ क्रमांक 17 के बिन्दु क्रमांक 2 में निम्नानुसार जोड़ा जाता है

" अथवा एन एच एम /एन एच बी द्वारा जारी रेटेड नर्सरी प्रमाण पत्र "

आर सी ओ 5 - सत्यरूप एवं प्रमाणित बीज के प्रदाय हेतु

परिशिष्ट क्रमांक 5 के बिन्दु क्रमांक 3 को निम्नानुसार पढ़ा जाए :

" सत्यरूप बीजों के आफरकर्ता द्वारा जिला उद्यानिकी अधिकारी के मार्गदर्शन में बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जाना आवश्यक है "

आर सी ओ की अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

महाप्रबंधक उद्यान